COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

71

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

III/निगरानी/अशोकनगर/प्र.क्र./2017/3157

1. गजराज सिंह हल्केराम चमार
2. जुल्का बाई पत्नी गजराज सिंह

निवासी कर्र तह. मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.

........आवेदक

बनाम

1. हीरालाल पुत्र रूमाल निवासी ग्राम कर्र तहसील मुगावली जिला अशोकनगर

.........असलअनावेदक

2. प्रभूलाल पुत्र सुन्दरलाल लोधी
3. हीरालाल पुत्र बारेलाल
4. असगर पुत्र अल्ताफ
5. सन्मान पुत्र चम्पालाल
6. बालकिशन पुत्र हल्के
7. खिलन सिंह हल्के

समस्त निवासी ग्राम कर्र तहसील मुगावली जिला अशोकनगर म0प्र0

............तरतीवी अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. के प्र.क. 246/2009–10/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.09.2010 के बिरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भूरा/2017/3157

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
10-11-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 246/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2010 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा-5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 7 वर्ष 1 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 ऐस0 अली) सदस्य	